न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह (टोंक)

[illegible] – 59 / 2024 तारीख – रजु 26.02.2024

<u>उनवान</u>

1. [illegible] पुत्र लादू जाति धाकड़ निवासी फालोलाव तहसील टोड़ारायसिंह।
2. [illegible] पुत्री लादू जाति धाकड़ निवासी फालोलाव तहसील टोड़ारायसिंह।
3. तुलसी पत्नी लादू जाति धाकड़ निवासी फालोलाव तहसील टोड़ारायसिंह।
4. निरमा पुत्री लादू जाति धाकड़ निवासी फालोलाव तहसील टोड़ारायसिंह।

– प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार / लैण्ड होल्डर, तहसील–टोडारायसिंह

– अप्रार्थी

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम</u>

<u>आदेश</u> दिनांक : 20.05.2024

प्रार्थी का मुख्य रूप से कथन है कि उनके कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नं. 1773 / 2459 रकबा 0.10 है0, 1776 / 2460 रकबा 0.25 है0, 1781 रकबा 0.34 है0 वाके ग्राम फालोलाव तह. टोडारायसिंह में स्थित है। आराजी को प्रार्थीयान काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। प्रार्थीयान की उक्त आराजियात की शीट में पृथक तरमीम हो रखी हैं। आराजियात की वर्तमान वर्तमान में खुर्द–बुर्द हो चुकी है तथा आराजी के सीमा चिन्ह नष्ट हो चुके है। इस कारण वादग्रस्त आराजी के पडौसी खातेदारान सीमा चिन्ह नष्ट हो जाने के कारण प्रार्थी की उक्त आराजी में घुसकर कब्जा करना चाहते है, जिससे आए दिन लड़ाई–झगडे होते रहते है। मौके पर कभी भी गंभीर वारदात कर सकते है। इस कारण प्रार्थी उक्त वादग्रस्त आराजी के मुश्तकील मुटाम कायम कर पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने उक्त आराजी की पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार, टोडारायसिंह को निवेदन किया तो उन्होंने पत्थरगढी करने से इंकार कर दिया। जिस पर यह प्रार्थना–पत्र कायम किये जाने, सीमाचिन्ह पत्थरगढी हेतु न्यायालय हाजा में पेश करना आवश्यक हुआ।

विवाद मूल व प्रार्थना–पत्र की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का माननीय न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नं. 1773 / 2459 रकबा 0.10 है0, 1776 / 2460 रकबा 0.25 है0, 1781 रकबा 0.34 है0 वाके ग्राम फालोलाव तह. टोडारायसिंह को आवश्यक आदेश व निर्देश प्रदान करे तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय में मंगवाई जाये।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी अप्रार्थी जरिए नोटिस की गई जिस पर अप्रार्थी नम्बर 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि का सीमाज्ञान नही करवाया गया है। आराजी खसरा नं. 1773 / 2459 रकबा 0.10 है0, 1776 / 2460 रकबा 0.25 है0, 1781 रकबा 0.34 है0 पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है। किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हैं। ना ही कोई वाद विचाराधीन है।

अभिभाषक व पैरोकार सरकार को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया. वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2073–76 वाके ग्राम फालोलाव तह. टोडारायसिंह की खतौनी संख्या 160 के अनुसार प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक जवाब वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1773 / 2459 रकबा 0.10 है0, 1776 / 2460 रकबा 0.25 है0, 1781 रकबा 0.34 है0 पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं होने के कारण आराजी के पत्थरगढी नहीं करवायी जा सकती है। प्रार्थीगण उक्त आराजी पर कब्जा प्राप्त करने हेतु नियमानुसार सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। मौजूदा सुरत में वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीयान का कब्जा काश्त नहीं होने के फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान खारिज किया जाता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.09.10 14:33:27 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 20.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवराज [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह

Scanned with OKEN Scanner